

आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए)

मंत्रिमंडल ने 2016-17 के दौरान उर्वरक कंपनियों को बकाया सब्सिडी के भुगतान हेतु विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एसबीए) के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी दी

Posted On: 01 NOV 2017 4:31PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2016-17 में उर्वरक राजसहायता के बकाया दावों के भुगतान हेतु 10,000 करोड़ रूपए की विशेष बैकिंग व्यवस्था (एसबीए) के कार्यान्वयन के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को आज कार्योत्तर मंजूरी प्रदान कर दी है।

उपर्युक्त एसबीए के अंतर्गत, सरकार द्वारा बकाया राजसहायता बिलों के निपटान के लिए एसबीआई से 9,969 करोड़ रूपए का ऋण लिया गया था। उपर्युक्त ऋण राशि और सरकार की ओर से उस पर बनने वाली 80.90 करोड़ रूपए की ब्याज देयता का एसबीआई को भुगतान किया गया था।

उर्वरक कंपनियों की नगदी समस्या के निदान के लिए वर्ष 2016-17 हेतु 10,000 करोड़ रूपए की राशि के लिए एसबीए का पहले ही कार्यान्वयन/प्रचालन किया जा चुका है।

पृष्ठभूमि

सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों के जिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किसानों को उर्वरक नामत: यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों की 21 ग्रेडें उपलब्ध करा रही हैं। उर्वरक कंपनियों को उनके राजसहायता दावों के प्रति निधियां उपलब्ध कराने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जी-सेक दर पर सरकार की ब्याज देयता सीमित करते हुए 10,000 करोड़ रूपए की राशि हेतु एसबीए का अनुमोदन किया गया था। तद्वसार, उर्वरक कंपनियों के बकाया राजसहायता दावों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रूपए की राशि हेतु एसबीआई के साथ एक एसबीए तैयार की गई थी। ऋण और उस पर सरकार के ब्याज का पुनर्भुतान स्वीकृत बजट के अंदर बजट अनुमान 2017-18 से कर दिया गया है।

अतुल तिवारी/हिमांशु सिंह/बाल्मीकि महतो/सुरेन्द्र कुमार/हेमा

(Release ID: 1507831) Visitor Counter: 29









ın